

* ई-मेल स्पीड
पोस्ट/निबंधित डाक

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- नगर निगम, सासाराम क्षेत्र में जल निकासी हेतु कुल ₹3852.07 लाख (अडतीस करोड़ बावन लाख सात हजार ₹00) मात्र लागत की स्वीकृत सासाराम स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में तत्काल राशि ₹3,19,07,092/- (तीन करोड़ उन्नीस लाख सात हजार बानवे रुपये) मात्र के सहायक अनुदान के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश सं०-307 दिनांक-25.03.2017 द्वारा नगर निगम, सासाराम क्षेत्र में जल निकासी हेतु कुल ₹3852.07 लाख (अडतीस करोड़ बावन लाख सात हजार ₹00) मात्र लागत की स्वीकृत सासाराम स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जा रहा है।

2. स्वीकृत कुल राशि ₹3852.07 लाख (अडतीस करोड़ बावन लाख सात हजार ₹00) मात्र के विरुद्ध आवंटनादेश सं०-308, दिनांक-25.03.2027 द्वारा ₹500.00 लाख, आवंटनादेश सं०-58, दिनांक-28.12.2028 द्वारा ₹1000.00 लाख, राज्यादेश सं०-104, दिनांक-10.10.2019 द्वारा ₹1000.00 एवं राज्यादेश सं०-174, दिनांक-18.01.2021 द्वारा ₹1000.00 लाख अर्थात् ₹3500.00 लाख रुपये आवंटित किया जा चुका है।

3. प्रबंध निदेशक, बुडको के पत्रांक-1883 दिनांक-23.06.2025 द्वारा आवंटित राशि से व्ययोपरांत योजना के कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अवशेष राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

4. उक्त अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल स्तम्भ-7 में अंकित राशि ₹3,19,07,092/- (तीन करोड़ उन्नीस लाख सात हजार बानवे रुपये) मात्र स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना मद से सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारनामा की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8=(5-(6+7))
1	नगर निगम, सासाराम	सासाराम स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज	3852.07	3819.07092	3500.00	319.07092	0

अर्थात् कुल स्वीकृत ₹3,19,07,092/- (तीन करोड़ उन्नीस लाख सात हजार बानवे रुपये) मात्र।

5. स्वीकृत कुल ₹3,19,07,092/- (तीन करोड उन्नीस लाख सात हजार बानवे रुपये) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-227, दिनांक-28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि बुडको के PL खाता सं०-PTSPLA006, HoA संख्या-00-8448-00-120-0014-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

6. स्वीकृत कुल ₹3,19,07,092/- (तीन करोड उन्नीस लाख सात हजार बानवे रुपये) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 बजट शीर्ष-2215-जलापूर्ति एवं सफाई, उपमुख्य शीर्ष-02-मल जल तथा सफाई, लघुशीर्ष-192-नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उपशीर्ष-0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड-48-2215021920102, विषय शीर्ष-31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद से की जाएगी।

8. बुडको द्वारा योजना में प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन भौतिक प्रगति के Milestone के अनुसार राशि का भुगतान योजना में कार्यरत एजेंसी को की जाएगी एवं भुगतान किये जाने वाले एजेंसी (संस्था) के बैंक खाता में भी कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। यदि योजना में किसी प्रवर्तन निदेशालय तथा अन्य जाँच एजेंसी द्वारा जाँच किया जा रहा है तो प्रत्येक भुगतान की सूचना अनिवार्य रूप से संबंधित जाँच एजेंसी को उपलब्ध कराई जाएगी।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1496, दिनांक-22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-63, दिनांक-11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

9. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन के पूर्व बुडको के संबंधित अभियंता संबंधित नगर निकाय से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित हो लेंगे कि योजना की डुप्लिकेसी ना हो।

10. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009- 9736, दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार सहायता अनुदान की राशि का

उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।

11. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को आवश्यक उपलब्ध कराया जाय।

12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस संचिका के पृष्ठ सं०— 83 / टि० पर दिनांक— 16/04/2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०— 84 / टि० पर दिनांक— 17/04/2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक—15/अभि०—SWD—17—09/2025 444 / न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक— 19/01/26

प्रतिलिपि:— प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम सासाराम/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार के कोषागार पदाधिकारी/ योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—02 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।